**यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण**

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 49/2023

उनवान

बालूराम }
सुगला } पुत्रान कजोडमल

समस्त व्यस्क जाति जाट निवासी धानोता, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।
गोपीराम पुत्र हरलाराम
चन्दाराम पुत्र हरलाराम
मा पुत्री गुल्लाराम
प्रभूदयाल पुत्र हरलाराम
लाराम पुत्र हरलाराम
बनवारी पुत्र गुल्लाराम
रजी देवी पत्नी गुल्लाराम
बोदूराम पुत्र हरलाराम
मुकेश पुत्र गुल्लाराम
शंकर पुत्र गुल्लाराम
गिरधारी पुत्र मंगला
भागचन्द पुत्र मंगला
मुरली पुत्र मंगला

अप्रार्थीगण

**प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956**

निर्णय दिनांकः 18/1/24

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थीगण के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया ा है कि आराजी ख.नं. 650 रकबा 0.38 है0, 660 रकबा 1.55 है0, 661 रकबा 0.06 है0, 662 बा 0.03 है0, 663 रकबा 0.98 है0, 664 रकबा 0.32 है0 कुल किता 6 रकबा 3.32 है0 वाकै ग्राम नोता तह0 शाहपुरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है जिस पर कब्जा कास्त करते चले आ रहे जिसका उपतहसीलदार अमरसर के आदेश कमांक/सीमाज्ञान/भू.अ./2022/1453 दिनांक .05.2022 की पालना में दिनांक 15.06.2022 को पडौसी खातेदारान व ग्राम के मौतबिरान की स्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि को पडौसी काश्तकार भूमि को दबाते रहते जिससे आये दिन विवाद चलता रहता है। प्रार्थी उक्त सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थीगण अपनी मे का मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवाना चाहता है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ी जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अप्रार्थीगण सं0 01 लगा0 14 की ोर से बावजूद सूचना के कोई उपस्थित नहीं हुए जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में ायी जाती है। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना त्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया ।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। करण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 15.06.2022 को पटवारी हल्का के द्वारा ोमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा ोमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी रवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा पनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है ासके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार ुरा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण के हाल खाता संख्या 262 में प्रश्नागत आराजी राजी ख.नं. 650 रकबा 0.38 है0, 660 रकबा 1.55 है0, 661 रकबा 0.06 है0, 662 रकबा 0.03 है0, 3 रकबा 0.98 है0, 664 रकबा 0.32 है0 कुल किता 6 रकबा 3.32 है0 वाकै ग्राम धानोता तह0 हपुरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए की उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 15.06.2022 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी ावे। तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.11.24 को सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण